न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) कानपुर देहात।

वाद सं०-02/74/18

राजेन्द्र कुमार---------------------------बनाम----------------------सुरेश कुमार।

दिनांक-25.09.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना-पत्र 3 ग-2 हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 3 ग-2 अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम,एवं 5 ग-2

उक्त 3 ग-2 प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र 4 ग-2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र 3 ग-2 के साथ संलग्न शपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी दिनाँक-13.12.2016 को अपनी पुत्री की शादी व बिदाई समारोह में व्यस्त होने के कारण मा० न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका तथा दिनाँक-17.01.2017 को सर्दी लग जाने के कारण वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका। जिस कारण वर्तमान प्रार्थना-पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, बल्कि जो देरी हुयी है वह उक्त कारणों के आधार पर हुई है जो सदभावी है क्षमा किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण आपत्ति हेतु उपस्थित नहीं आये।

प्रार्थना-पत्र 3 ग-2 अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम, एवं 5 ग-2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनाँक-13.12.2016 को अनुपस्थिति के कारण उसका वाद खारिज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन है कि वह अपनी पुत्री के शादी व बिदाई में व्यस्त होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका। प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र 4 ग से समर्थित है। अतः प्रार्थना-पत्र 3 ग-2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। जहाँ तक प्रार्थना-पत्र 5 ग-2 का प्रश्न है खारिजा आदेश दि०-13.12.2016 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, नियत तिथि को अनुपस्थिति का कारण पुत्री की शादी में व्यस्त होने का कथन किया गया है। प्रतिवादीगण आपत्ति हेतु उपस्थित नही हैं। अतः प्रार्थना-पत्र 5 ग-2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र-3 ग-2 अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना-पत्र 5 ग-2 स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को क्षमा करते हुए खारिजा आदेश दि०-13.12.2016 अपास्त किया जाता है। वाद सं०-129/16 राजेन्द्र कुमार बनाम सुरेश कुमार गुप्ता अपने मूल नम्बर पर पुनरस्थापित हो।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक-23.10.2019 को पेश हो।

सिविल जज (सी०डि०)
कानपुर देहात